(141)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2715–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–4–2015 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद, प्रकरण कमांक 224/अपील/2013–14.

.....

श्रीमती ब्रजलता पत्नी रामकृष्ण बलवटे
निवासी वार्ड कमां 13 टिमरनी
जिला हरदा

..... आवेदिका

विरूद्ध

लखनलाल पिता राधाकिशन माली
निवासी ग्राम सोडलपुर तहसील रहटगांव
जिला हरदा

..... अनावेदक

.....

श्री नीलेश शर्मा, अभिभाषक–आवेदिका
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक–अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 27/9/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदिका द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–04–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 7–5–2014 के विरूद्ध आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा प्रकरण कमांक 224/अपील/13–14 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान अनावेदक द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के अन्तर्गत आवेदन पत्र के संलग्न व्यवहार वाद कमांक 08–ए/2013 में पारित आदेश दिनांक 31–7–14 की प्रति प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा यह पाते हुये कि उपरोक्त आदेश से व्यवहार न्यायालय द्वारा आवेदक के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है ऐसी स्थिति में प्रकरण में सुनवाई में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है, अपील नस्तीबद्ध की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 28–6–17 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि उभयपक्ष के अभिभाषक 7 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उभयपक्ष द्वारा नियत समयावधि में लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये जा सके है इसलिये प्रकरण में आवेदिका द्वारा निगरानी मेमों उठाये गये आधारों पर विचार किया जा रहा है । आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आयुक्त द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश को समझने में भूल की गई है क्योंकि व्यवहार न्यायालय द्वारा केवल अनावेदक की भूमि में हस्तक्षेप नहीं किये जाने संबंधी स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है, जबकि आयुक्त के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संहिता की धारा 131 रास्ते से संबंधित है और रास्ते से संबंधित विवाद का निराकरण करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को है ।

(2) व्यवहार न्यायालय के आदेश द्वारा आयुक्त की कार्यवाही के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में आयुक्त को गुणदोष पर प्रकरण का निराकरण करना चाहिये, जो उनके द्वारा नहीं किया गया है इसलिये आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि

तहसीलदार द्वारा पूर्व में अंतरिम आदेश पारित किया गया था जिसके विरूद्ध वरिष्ठ न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करने पर वरिष्ठ न्यायालय द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त कर दिया गया है । तहसीलदार द्वारा इस आधार पर प्रकरण समाप्त कर दिया गया है, जो कि वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित कार्यवाही नहीं है, कारण तहसीलदार को प्रकरण में उभयपक्ष की साक्ष्य लेकर प्रकरण में अंतिम आदेश पारित करना था और उपरोक्त वैधानिक एवं तथ्यात्मक स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार के आदेश की पुष्टि की गई है इसलिये उनका आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर देते हुये विधिवत् नियमानुसार आदेश पारित करें और आदेश पारित करते समय व्यवहार न्यायालय की डिक्री पर भी विचार करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर